राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
"डी" ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

क्रमांक : जीआईएफ/71/मोटर/13–14/जनरल/01 1805-1840 दिनांक : 17.7.14

समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
जिला कार्यालय ....

विषय :– मोटर बीमा के संबंध में पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियो से पॉलिसी लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई शिथिलता के क्रम में।

संदर्भ :– वित्त (राजस्व) विभाग, राज. का पत्र क्रमांक : प. 4(3) वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 23.6.14

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग राज. (साबीनि) द्वारा विभिन्न बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु मोटर बीमा पॉलिसियां जारी की जाती रही है। इस संबंध में राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भित आदेश के क्रम में मोटर बीमा से संबंधित प्रीमियम प्राप्त नहीं किया जावे।
2. प्रतिदिवस ई ग्रास/राजकोष बेवसाइट पर जांच की जावे कि किसी संस्थान द्वारा मोटर बीमा से संबंधित प्रीमियम इस विभाग में जमा तो नहीं कराया गया है।
3. यदि किसी संस्था द्वारा मोटर बीमा प्रीमियम 27.6.2014 के पश्चात जमा करा दिया गया है तो उसे तत्काल संबंधित संस्था को रिफन्ड करने की कार्यवाही की जावे।
4. यदि जिला कार्यालय द्वारा आगामी अवधि हेतु मोटर बीमा रिन्युअल नोटिस/पत्र जारी किये जा चुके है तो संबंधित संस्थाओं को तत्काल पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया जावे कि जिला कार्यालय द्वारा जारी किये गये रिन्युअल नोटिस निरस्त समझे जावें।
5. आपके जिला कार्यालय से अब तक जिन बोर्ड/कार्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों को मोटर बीमा पॉलिसी पूर्व में जारी की जाती रही है, उन्हें तत्काल सूचना प्रेषित कर दी जावे कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में मोटर बीमा, पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों से कराया जाना है।
6. इन निर्देशों के जारी किये जाने से पूर्व जिन संस्थाओं से प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, उनके संदर्भ में पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार तत्काल पॉलिसी जारी कर संबंधित संस्थाओं को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

15/7/2014

(डॉ. राजेश शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : जीआईएफ/71/मोटर/13–14/जनरल/01 1241–50 दिनांक : 17.7.14

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संभाग ....
3. एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(दीनबन्धु परमार)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर।

Programmer
Rept
18/7/14

D:\MOTOR\A4_LETT \2.7.14\SK
Web site : www.sipf.rajasthan.gov.in
Email : add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा / पेंशन) विभाग

क्रमांक - - 3)वित्त जस्व / 2008 पार्ट   जयपुर, दिनांक 23 JUN 2014

निदेशक

निदेशक
राज्य बी- एवं प्राव -ी निधि विभाग,
राजस्था- जयपुर।

विषयः-म-र बीमा पॉलिसी को हाईरिस्क पॉलिसी मानते हुए साधारण बीमा य-जना के स्थान पर सरकारी बीमा कम्पनियों से करवाये जाने की शि-थलता के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः--पका पत्र क्रमांक जीआईएफ / 71 / मोटर / 13-14 / 784 दिनांक 2- -5.2014

महोदय,

उपरोक्त -षयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बढते याता-त एवं -ीटी अवार्ड में बढती हुई राशि को दृष्टिगत रखते हुए मोटर बीमा पॉलि-ी को -रिस्क पॉलिसी की श्रेणी में मानते हुएं फायर, बॉयलर एवं एविएशन -लिसी के -नुरूप मोटर बीमा पॉलिसी का साधारण बीमा योजना के स्थान पर पब्लिक -क्टर बी- कम्पनियों से बीमा करवाये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

-क्त शिथि-ता सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में दी जाती है।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 2-/6/14
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त(बीमा / पेंश- -िभाग, शास- -चिवालय, राजस्थान, जनपथ, जयपुर (राज.) फोनः-0141-5153222, 5153223,
Ext. 4134, 4- 9, 4498 -- 0141-5116448 web: www.finance.rajasthan.gov.in
e-mail: osd- -@rajast- -.gov.in F-4(3)2008